सामान्य (निरीक्षण)

9.7.19

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम :– श्री महेन्द्र कुमार देवतवाल
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रन्यास का नाम — मंदिर श्री देवीजी धौलागढ तहसील कठूमर जिला अलवर

निरीक्षण दिनांक — 22.5.2019

दिनांक 22.5.2019 को जिला अलवर में स्थित सार्वजनिक प्रन्यास श्री देवी जी धौलागढ तहसील कठूमर जिला अलवर का निरीक्षण श्री भुकेश कुमार मीणा निरीक्षक प्रथम श्रेणी (कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग प्रथम), श्रीमती ममता मीणा निरीक्षक देवस्थान विभाग अलवर, श्री बाबूलाल मीणा कनिष्ठ सहायक के साथ किया गया। वक्त निरीक्षण प्रन्यास के न्यासीगण उपस्थित मिले। यह प्रन्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है

1. **संक्षिप्त विवरण** :– यह मंदिर श्री देवी जी धौलागढ एक प्राचीन मंदिर है जो ग्राम बहतुकला तह.कठूमर जिला अलवर में स्थित है। मंदिर एक पहाडी पर स्थित है। जंहा तक पहुचने हेतु सीढियां बनी हुई है एंव वाहन हेतु सी.सी सडक भी बनी हुई है। मुख्य मंदिर माता जी धौलागढ देवी का है। जिसमें माता जी की संगमरमर का विग्रह विराजमान है। वक्त निरीक्षण जानकारी मिली की वर्ष 1995 में माता जी की मूर्ति खण्डित हो जाने से एक भक्त श्री रामचन्द्र भरतपुरिया इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। निज मंदिर में कॉच का जडाउ कार्य किया हुवा है। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बना हुआ है। यह मंदिर धार्मिक आस्था का एक बडा केन्द्र है। जंहा प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण पंचमी से एकादशी तक आयोजित होता है। जिसमें हजारो श्रद्वालु भाग लेते है।

860
10.7.19

2. **न्यास की रोकड़ बही एवं बाउचर्स** :– वक्त निरीक्षण प्रन्यास द्वारा संधारित रोकड पुस्तिका का अवलोकन किया गया। न्यास द्वारा दिनांक 14.10.2016 से रोकड पुस्तिका संधारित की जा रही है। जो नियमानुसार संधारित नही की जाती है। संधारित रोकड़ पुस्तिका में आय–व्यय की स्थिति स्पष्ट नही है। आय के संबंध में यह स्पष्ट नही है कि आय किस से प्राप्त हुई है। व्यय के विवरण अंकित नही है। रोकड पुस्तिका में

कार्यालय आयुक्त देवस्थान आवक शाखा क्रमांक 522 दिनांक 10/7/19 राजस्थान जयपुर

14.10.2016 से प्रविष्टिया अंकित है। जो 30.12.16,6.10.17,2.3.18,23.5.18,24.5.18,18.4.19,30.4.19 की तारीखों में लिखी हुई है। न्यास द्वारा संधारित रोकड पुस्तिका दैनंदिन रूप से नही लिखी जाकर कई महिनों के अन्तराल में लिखी जाती है। वर्ष 2016 से पूर्व का कोई हिसाब नही है। जो कि एक वित्तीय अनियमितता है। संस्था द्वारा वाउचरों का भी नियमानुसार संधारण नही किया जाता है। वक्त निरीक्षण वाउचर संख्या 49/27.5.17 राशि रू 12595,50/27.5.17 राशि रू 9723 व 51/27.5.17 राशि रू 1200,03/ दिनांक अंकित नही राशि रू 6500/– व बिजली के बिल 4 नग प्रस्तुत कियें। इसके अतिरिक्त कोई वाउचर/वाउचर पत्रावली संधारित नही होना बताया गया। न्यास द्वारा वक्त निरीक्षण कोई रसीद बुक नही रखना बताया।

3. **संस्था का बजट एवं अंकेक्षण रिपोर्ट** :– प्रन्यास द्वारा बजट संधारित नही किया जाता है ना ही इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। न्यास के आय–व्यय की ऑडिट भी नही कराई जाती है। यह लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 33,34,35 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

4. **किरायेदारो का विवरण (किराया विवरण)** :– वक्त निरीक्षण प्रन्यासियों द्वारा अवगत कराया गया कि न्यास में कोई भी सम्पदा किराये पर नही है।

5. **संस्था की चल अचल सम्पदा की पंजिकायें** :– उक्त पंजिकाये संधारित नही है। उक्त प्रन्यास वर्ष 2011 से लोक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत है। वक्त पंजीयन पंजीयन निर्णय में न्यास के न्यासियों को न्यास की सम्पूर्ण सम्पत्ति का ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा व दस्तावेज तैयार कर इस कार्यालय में दो माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थें। जिसकी पालना आज दिनांक तक भी नही की गई है। उक्त पंजीयन निर्णय में मंदिर श्री गोपाल जी व उसकी कृषि भूमि को भी इस न्यास की अचल सम्पदा में सम्मिलित किया गया था। परन्तु उस बाबत भी न्यासीगणों द्वारा मंदिर की स्थिति व कृषि भूमि से आय का कोई ब्योरा आज दिनांक तक प्रस्तुत नही किया है। यह मंदिर एक पहाडी पर स्थित है। जंहा माता जी के निज मंदिर के चारों और 15 फीट परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। निज मंदिर के पश्चिम में शिव परिवार, हनुमान जी, गणेश जी, लक्ष्मीनारायण जी, मॉ सरस्वती, रामदरबार, राधा किशन जी के विग्रह भी विराजमान है। निज मंदिर के आस–पास परिसर में कमरे इत्यादि बने हुए हैं। बाहर की तरफ धर्मशाला,पानी की टंकी,प्याउ आदि बने हुवे है। वक्त निरीक्षण पाया गया की न्यास के प्रबन्धाधीन सम्पत्तियों का रखरखाव सही रूप से नही हो रहा है। मंदिर के पास रेलिग,दीवारे,सीढीया,मुख्य द्वार,कमरे आदि क्षतिग्रस्त हो रहे है। जिनमें दरारे आ

रही है,साफ–सफाई की स्थिति दयनीय है। रंग मरम्मत हुवे काफी समय व्यतीत हो गया है ऐसा प्रतीत होता है।वक्त निरीक्षण उपस्थित शिकायतकर्ताओ द्वारा मंदिर के सामने स्थित भैरू जी मंदिर को भी इस प्रन्यास के अधीन बताया गया । इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस कार्यालय मे श्री श्याम लाल शर्मा (न्यासी)द्वारा श्री भैरू जी मंदिर को प्रन्यास सम्पदा बताते हुवे राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 24 के तहत भैरू जी मंदिर को श्री देवी जी धौलागढ प्रन्यास की अचल सम्पदा में इन्द्राज किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में कार्यवाही विचाराधीन है। जिसमें श्री देवी जी धौलागढ प्रन्यास के अध्यक्ष तोताराम व अन्य की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की हुई है व प्रकरण प्रार्थी साक्ष्य में नियत है। दूसरी ओर श्री देवी जी धौलागढ प्रन्यास के अध्यक्ष श्री तोताराम द्वारा उक्त भेरू जी मंदिर को श्री माता जी मंदिर से पृथक अस्तित्व बताकर पृथक लोक न्यास कें पंजीयन कराने हेतु न्यास अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें न्यासी श्री श्याम लाल शर्मा व अन्य की ओर से आपत्तिया प्रस्तुत की हुई है। दिनांक 27.5.2019 को इस कार्यालय के आदेश से उक्त दोनो प्रकरणों को एक साथ सलग्न कर एकजाई सुनवाई की जा रही है। दौराने प्रन्यास पंजीयन कार्यवाही भी चल सम्पत्ति के विवरण प्रस्तुत नही किये गये थे। पंजीयन निर्णय में भी न्यासियों का दो माह के अन्दर न्यास की समस्त चल सम्पत्ति की सूची मय जेवरात प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। वक्त निरीक्षण इस की पालना भी नही होना पाया गया है। पंजीयन निर्णय में न्यास के पास सोने का हार व जेवरात होने का तथ्य अंकित है परन्तु वक्त निरीक्षण उक्त हार व जेवरातों के बारे में कोई संतोषप्रद उत्तर न्यासीगणों द्वारा नही दिया गया ना ही न्यास कार्यालय में संधारित न्यास अभिलेखों में इसकी प्रविष्ठी के इन्द्राज बाबत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इससें उक्त बहुमूल्य हार व जेवरातों के खुर्दबुर्द होने की आंशका है। इसकी विस्तृत जांच अपेक्षित हैं। निरीक्षक देवस्थान विभाग अलवर को इस हेतु पृथक से निर्देशित किया जा रहा है। न्यास द्वारा भेंट में प्राप्त नारियल, पोशाक, छत्र आदि का कोई हिसाब रखा जाना वक्त निरीक्षण पाया गया। वक्त निरीक्षण न्यास अध्यक्ष तोताराम द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.05.2019 को मंदिर पीछे स्थित कमरे में आग लग गई जिसमें श्रृंगार का सामान, नारियल, चुनरी, कपडे, एवं छोटे छत्र थे सामान की सूची बनाई हुई नही थी। उक्त कमरे रखा हुआ समस्त सामान जल चुका था। मौके पर उक्त कमरा पूरी तरह जली हुई स्थिति में पाया गया। वस्तुतः न्यास अध्यक्ष को मंदिर की चल सम्पति का पूरा लेखा–जोखा रखना चाहिये। जिसके अभाव में उक्त सम्पति

चोरी हो जाने, आग लगने से नष्ट हो जाने से खुर्द–बुर्द हो जाती है। यह न्यास के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है।

6. **न्यास की विनियोजन की पंजिकाये** :– संस्था का बैक खाता पी.एन.बी. बैक भनोकर में होना बताया गया है। जिसका खाता संख्या 1297000100122108 है। जिसमें 8.99 लाख रूपये जमा होना वक्त निरीक्षण बताया गया। न्यासियों में आपस में विवाद के कारण उक्त खाते से राशि का आहरण नही किया जा रहा है।

7. **न्यास का इन्वेन्ट्री व स्टाक रजिस्टर** :– न्यास द्वारा जेवरातों के सम्बन्ध में कोई इन्वेन्ट्री रजिस्टर संधारित नही है। जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि मंदिर में विगत वर्षो में सोने चांदी के कितने आभूषण भेट में प्राप्त हुवे। उनका इन्द्राज भी कही नही किया गया हैं।विगत वर्षो में मंदिर में कई बार चोरी होना वक्त निरीक्षण बताया गया।मंदिर में बहुमूल्य जेवरातों का विधिवत अभिलेख संधारण नही करना,चोरिया होना,वर्तमान में कितने आभूषण प्रन्यास के पास किस किस प्रकार के किस के चार्ज में है। ऐसी जानकारी उपलब्ध नही होना प्रन्यास के प्रबन्धन में गम्भीर लापरवाही व खामी का घोतक है। प्रन्यासीगण अपने दायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा व मनमर्जी बरत रहे है। जो कि एक लोक प्रन्यास के हितो की दृष्टि से कतई उचित नही है।

न्यास द्वारा वक्त निरीक्षण संधारित स्टोक रजिस्टर वास्ते अवलोकन पेश किया गया जो अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित है। यह रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नही है। रजिस्टर में मात्र आईटमों के नाम व नग लिखे हुवे है। यह आईटम क्रय किये है या दान में प्राप्त हुवे है। विवरण अंकित नही है।

8. **बैठक रजिस्टर** :– प्रन्यास द्वारा वक्त निरीक्षण बैठक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 1.6.2017 से संधारित है। उक्त बैठक रजिस्टर के अवलोकन से ज्ञात हुआ की उक्त बैठक रजिस्टर में प्रन्यास विगत 2 वर्षो में मात्र 3 बैठक दिनांक 1/6/17,27/5/2017 व 9/7/2017 को आयोजित की गई है। उक्त तीनो बैठको में केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। न्यास द्वारा न्यास की गतिविधियों के संबंध में निरतर बैठके नही की जा रही है। जो की न्यास के हितो के विपरीत है। उपस्थित अध्यक्ष श्रीतोताराम शर्मा द्वारा जाहिर किया गया कि अन्य न्यासी बैठक में नही आते है। परन्तु उनके द्वारा बैठक आहूत करने,न्यासियों को सूचित करने,बैठक उपरान्त लिये गये निर्णय से न्यासियों को अवगंत कराने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। उन्होने बताया कि मात्र व्यक्तिशः/दूरभाष पर सूचना दे दी जाती है। इस प्रकार मात्र तीन बैठको व उनमे भी मात्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर से न्यास की कार्यवाहियों में सभी न्यासियों की

सहभागिता शून्यप्रायः है व न्यास में लिये गये निर्णयो पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उक्त स्थिति न्यास के समुचित संचालन व बेहतर प्रशासन की दृष्टि से पूरी तरह विपरीत है।

9. **भेंट रजिस्टर** :– न्यास का भेट रजिस्टर संधारित किया हुवा है। जिसमें अंतिम प्रविष्टि दिनांक 30.4.19 को भेट राशि गणना की है। जिसमें 1,48,894 भेट प्राप्त होना अंकित है।

इस मंदिर में प्राप्त होने वाली भेट को लेकर प्रायः अनेक विवाद रहे है। न्यासीगण मंदिर में इस कार्यालय के पूर्व आदेशानुसार दो दान पेटियां,रखवाई हुई है। जिनपर विभागीय ताला लगा हुवा है। इन भेटपात्रों में प्राप्त राशि का गणना कार्य विभागीय निरीक्षक, कार्मिक व् राजस्वकर्मी तथा न्यासीगणों की उपस्थिति में किया जाता है। मंदिर में न्यासीगणों के तीन थामे बने हुवे है। न्यास पंजियन निर्णय दिनांक 7.3.2011 में अंकित है कि न्यास में अनुवाशिक प्रथा अनुसार सेवा पुजा की औसरा व्यवस्था होने से प्रन्यास के प्रभावी प्रबन्धन एंव प्रन्यासीयों में सहयोगात्मक स्थिति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक थामें में आने वाले सेवक परिवार को उनकी ओसरा अवधि अनुसार सेवा पुजा का चार्ज तहसीलदार कठुमर के माध्यम से सम्भलाये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है। तीसरे थामें के वंशानुगत न्यासीयों की केवल मंदिर की साफ–सफाई व्यवस्था तक ही सीमित अधिकारिता प्रन्यास प्रबन्धन में प्रदत्त है। प्रन्यास पंजियन निर्णय में आनुवांशिक न्यासियों करा प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत भेट, नजर तथा धर्मदान को छोडकर न्यास को विभिन्न स्त्रोतों से प्रापत होने वाली संकल वार्षिक आय में से अधिकतम 15 प्रतिशत राशि आनुवांशिक न्यासियों के तीन थामों में बराबर विभाजित किये जाने का निर्धारण किया गया एंव शेष 85 प्रतिशत राशि न्यास का बैक में खाताखुलवाया जाकर जमा कराने व न्यास के न्यासी,तहसीलदार कठूमर व सरपच ग्राम पंचायत की निगरानी में मंदिर एंव दर्शनार्थीयों की सुविधा के विकास पर व्यय करने निर्देश दिये गये। पंजियन निर्णय उपरान्त से लेकर वर्तमान तक न्यास द्वारा संधारित अभिलेखों से स्पष्ट है कि न्यास द्वारा मंदिर व दर्शनार्थियों की सुविधाओं के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मंदिर में गर्भग्रह के द्वार पर बाई तरफ अध्यक्ष तोताराम शर्मा व दाई तरफ योगेन्द्र शर्मा वक्त निरीक्षण बैठे हुवे मिले। गर्भग्रह में कलश/पीपा/पेंटी नही रखी हुई पाई गई। न्यासीगणों में मंदिर में प्राप्त होने वाली भेट को लेकर भारी वैमनस्यपूर्ण विवाद है। जो मौके पर भी न्यासीगणों में परिलक्षित हुवा। मंदिर के दो थामों श्री तोताराम व श्री योगेन्द्र शर्मा व इन थामों के न्यासी व्यक्तिगत भेट,नजर

तथा धर्मदान को स्वंय की आय तथा श्री श्याम लाल शर्मा व इनके थामें के न्यासी उक्त आय को मंदिर ट्रस्ट की आय मानते है। श्री तोताराम द्वारा इस संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर (अलवर)में वाद संख्या 46/19 दायर किया जाना बताया व मौके पर इस वाद में दिनांक 27.4.19 को माननीय न्यायालय द्वारा पारीत अंतरिम आदेश की फोटो प्रति प्रस्तुत की इस आदेश में "माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है कि वे मंदिर के न्यासी प्रार्थी को किसी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत भेट,नजर व धर्मदान में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही करे तथा न ही जबरन दान पात्र में उक्त को डालने को किसी व्यक्ति को विवश करे,दर्शनार्थी अपनी इच्छा से दान पात्र में राशि डालने को स्वतंत्र रहेगे।" माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में वर्तमान में व्यक्तिगत भेट,नजर तथा धर्मदान के विषय पर कोई कार्यवाही/न्यासीयों को निर्देश इस कार्यालय स्तर से दिया जाना उचित नही है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में पृथक से विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निरीक्षक देवस्थान विभाग अलवर को निर्देशित किया है।

मौका स्थिति अनुसार एक दान पेटी गर्भग्रह के सामने रेलिग के पास अन्दर की तरफ बाई ओर तथा दुसरी दान पेटी परिक्रमा मार्ग में पीछे की ओर रखी हुई मिली।परन्तु यह एक सहज व स्वाभाविक प्रवृति है कि मंदिर के पुजारी जो कि न्यासी भी है दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन हेतु गर्भग्रह के द्वार तक आने को प्रेरित करते है और दर्शनार्थियों द्वारा मंदिर मूर्ति देवी जी माता जी के निमित्त दी जाने वाली भेट पुजारी के हाथों में पहुच जाती है ओर दान पेंटी में जाने से वंचित रह जाती है। उक्त खुली भेट का कोई हिसाब भी नही रहता है। प्रायः यह भेट राशि भेटपात्र में प्राप्त होने वाली राशि से अधिक ही रहती है। मंदिर के भेटपात्रों में राशि कम प्राप्त होने से मंदिर प्रन्यास के पास दर्शनार्थियों की सुविधाओं यथा छाया,पेयजल,शौचालय, पार्किग,मंदिर की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु आवश्यक सी.सी. टीवी,सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने हेतु राशि का अभाव रहता है ओर दर्शनार्थियों की परेशानी यथावत रहती है। कार्यवाहक न्यासी का दायित्व है कि वह न्यास कें हितों को केन्द्र में रख न्यास की आय मे अभिवृद्वि के यथा संभव प्रयास करे। चूकि इस न्यास के प्रन्यासी मंदिर के पुजारी भी है और ऐसी स्थिति में उक्त न्यासियों का पूर्ण मनोयोग से न्यास की आय में वृद्वि के प्रयास दृष्टिगोचर नही होते है। यह न्यासी पद के दायित्व से विमुखंता है।

10. **संस्था के कर्मचारियों की पंजिका व उनके वेतन सम्बनधी अभिलेख** :— प्रन्यास द्वारा वर्तमान में कोई कार्मिकं नियुक्त नही किया हुवा वक्त निरीक्षण अवगत कराया गया।

11. **साफ–सफाई,पेजयजल,सुरक्षा व्यवस्था** :— वक्त निरीक्षण मंदिर परिसर व आस–पास साफ सफाई का अभाव पाया गया। मौके पर श्री तोताराम शर्मा व अन्य न्यासीयों ने अवगत कराया की मंदिर में तीसरे थामें का साफ–सफाई का दायित्व है। प्रन्यास पंजियन निर्णय में भी तीसरे थामें के वंशानुगत न्यासीयों की केवल मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था तक ही सीमित अधिकारीता प्रन्यास प्रबन्धन में रहेगी निर्णित किया गया है। वस्तुतः अन्य थामों के न्यासियों के साथ इस थामें के न्यासी भी अपने दायित्वों से विमुख प्रतीत हुए है। मंदिर में मंदिर सम्पति व दर्शनार्थियों की सुरक्षा हेतु चार सी.सी. टी.वी कैमरें लगे हुए है एवं सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है। जो कि सुरक्षा दृष्टि से अपर्याप्त व अनुचित है.।

उक्त निरीक्षण से इस मंदिर प्रन्यास के प्रबंधन में न्यास अधिनियम के अनुसरण में सारभूत कमी परिलक्षित होती है। न्यासिगणों द्वारा न्यास की आय, संपत्ति के प्रबंधन व सुरक्षा, दर्शनार्थियों की सुविधा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न्यासिगणों में भेंट व चढावें को लेकर परस्पर भारी विवाद है एवं प्रायः माहौल तनावपूर्ण रहता है। अतः न्यास के प्रबंधन में व्याप्त अनियमितताओं, न्यासिगणों की न्यास के दायित्व से विमुखता, भेंट चढ़ावा व चल–अचल सम्पत्ति का समुचित प्रबंधन व सुरक्षा दर्शनार्थियों की सुविधाओं के विकास व पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्व धार्मिक स्थल के समुचित विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस मंदिर प्रन्यास पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 का अध्याय 10 लागू करते हुए प्रबंध समिति गठित करना उचित होगा।

सहायक आयुक्त (द्वितीय),
देवस्थान विभाग, जयपुर।

क्रमांक : — 916 दिनांक 28.06.2019

प्रतिलिपि :— 1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार–जयपुर ।

2. श्रीमान आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग राज–उदयपुर को अवलोकनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहायक आयुक्त (द्वितीय),
देवस्थान विभाग, जयपुर।